नम्बर /वर्ष 229/2022 अनवानी अनोपसिह बनाम गुलाबसिह आदि

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
10/6/24		

पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी/प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अनोपसिह वादी फोत हो चुका है जिसका जायज वसीयती वारिस प्रार्थी है प्रार्थी ने पूर्व में फरीक बनाये जाने हेतु वसीयतनामा मृत्यू प्रमाण पत्र पेश किया था किन्तु सहवन से फरीक नही बनाया जा सका है वाद जोत विभाजन का है तथा प्रार्थी अनोपसिह का जायज वसीयती वारिस है अनोपसिह दिनांक 10.01.2023 को फोत हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अनोपसिह की जगह वादी बनाया जाकर जबाब काउन्टर क्लेम शामिल करने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादी के फोत होने की तारीख 10.01.2023 दर्ज की है जबकि वादी के फोत होने की जानकारी प्रार्थी को थी एव वाद साक्ष्य प्रार्थी ने जरिये मुख्त्यानामा पेश किया था उसके 1 वर्ष 2 माह बाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है वादी अनोपसिह के वारीसान के नाम भूमि दर्ज नही है केवल प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है अनोपसिह का वसीयती वारीस किशनसिह है जबकि किसी भी कानून मे वसीयती वारीस शब्द का उल्लेख नही है इसलिये बिना किसी आधार के पेश किया गया है जो खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया

वादी अनोपसिह ने जरिये मुख्त्यारआम यह वाद पेश किया जाकर वादी ने अपनी खरीदशुद्वा भूमि जिसका कब्जा खरीद के समय दिया गया था जिसकी सीव डोल अलग से कायम के अनुसार खाता व लगान अलग दर्ज करने का पेश किया गया था
वादी अनोपसिह का देहान्त दिनांक 10.01.2023 को होने पर उनके जायज वारिसान को पक्षकार बनाने के लिये प्रार्थी ने किशनसिह ने वसीयती वारिस होने के कारण पक्षकार बनाने का निवेदन किया गया है

पत्रावली में उपलब्ध वसीयतनामा के अनुसान अनोपसिह ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत तहरीर करवाई गई थी जिसमे अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्र किशनसिह के नाम लिखी गई थी अनोपसिह के दो पुत्रीया होना भी अंकित किया गया है।

हस्तगत वाद खाता विभाजन का है अनोपसिह के देहान्त होने के वाद उसके जायज वारिसान अर्थात वादी एव उसकी दोनो बहने पक्षकार बनने का दावा कर सकती है जिसके लिये वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता प्रार्थी किशनसिह वसीयत के आधार पर वाद में पक्षकार बनना चाहता है जो न्यायोचित नही है क्योकि अनोपसिह की वसीयत के अधार पर प्रार्थी अभी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुआ है एक मुश्तरका रिकार्डेड खातेदार ही खाता विभाजन का अनुतोष प्राप्त कर सकता [illegible] अनोपसिह की वसीयत के आधार पर खातेदार काश्तकार दर्ज [illegible] खाता विभाजन का अनुतोष प्राप्त कर सकता है [illegible] देहान्त होने पर मात्र वसीयत के आधार पर वसीयती वारिस होने के नाते किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है अनोपसिह के वारिस प्रमाण पत्र बनाया जाकर वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर न्यायालय से अनोपसिह के हक हिस्सा की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:57:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हक हिस्सा अनुसार पक्षकारों के नाम दर्ज कर खाता विभाजन का अनुतोष प्राप्त कर सकते है अकेला प्रार्थी वसीयती वारिस के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है

उपरोक्त विवचेन अनुसार अनोपसिह के देहान्त होने पर उसके समस्त वारिसान वाद में पक्षकार बनाये जा सकते है प्रार्थी अनोपसिह की वसीयत के आधार पर वसीयती वारिस पक्षकार बन कर अनोपसिह की भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर खाता विभाजन करवाने का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रार्थी पहले वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के बाद अनोपसिह के स्थान पर खातेदार दर्ज होने के उपरान्त खाता विभाजन का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 एव 151 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है प्रार्थी अनोपसिह की वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने के बाद पुनः वाद प्रस्तुत करने के लिये स्वतन्त्र रहेगा हस्तगत वाद संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/6/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:57:37 IST
Reason: SelfAttested